



# INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Volume 11, Issue 4, April 2024



INTERNATIONAL  
STANDARD  
SERIAL  
NUMBER  
INDIA

**Impact Factor: 7.802**



+91 99405 72462



+9163819 07438



ijmrsetm@gmail.com



www.ijmrsetm.com

# आदिवासी महानायक बिरसा मुंडा

<sup>1</sup>Ramu Kumar & <sup>2</sup>Dr.Anita Kavdia

<sup>1</sup>UGC NET NFSC/JRF; Ph.D. Research Scholar, MLSU, Udaipur, Rajasthan, India

<sup>2</sup>Professor, Dept. Of History, Govt. Meera Girls College, Udaipur, Rajasthan, India

सार

बिरसा मुंडा उच्चारण<sup>①</sup> (15 नवंबर 1875 - 9 जून 1900)<sup>[4]</sup> एक भारतीय आदिवासी मुंडा जनजाति से थे ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसीडेंसी (अब झारखंड में) उभरे एक आदिवासी धार्मिक सहस्राब्दी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए।<sup>[5]</sup> विद्रोह मुख्य रूप से खूंटी, तमाड़, सरवाड़ा और बंदगांव के मुंडा बेल्ट

बिरसा ने अपनी शिक्षा सालगा में अपने शिक्षक जयपाल नाग के मार्गदर्शन में प्राप्त की। बाद में, बिरसा जर्मन मिशन स्कूल में शामिल होने के लिए ईसाई बन गए, लेकिन जल्द ही यह पता चलने के बाद कि अंग्रेज शिक्षा के माध्यम से आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते थे, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। स्कूल छोड़ने के बाद बिरसा मुंडा ने बिरसाइट नामक एक धर्म की स्थापना की। मुंडा समुदाय के सदस्य जल्द ही इस धर्म में शामिल होने लगे जो ब्रिटिश गतिविधियों के लिए एक चुनौती बन गया। बिरसाइटों ने खुले तौर पर घोषणा की कि असली दुश्मन अंग्रेज हैं, ईसाई मुंडा नहीं। मुंडा विद्रोह का कारण 'औपनिवेशिक और स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुचित भूमि हथियाने की प्रथा थी जिसने आदिवासी पारंपरिक भूमि प्रणाली को ध्वस्त कर दिया।'

परिचय

बिरसा मुंडा



एससी राय की पुस्तक द मुंडाज़ एंड देयर कंट्री से फोटो <sup>[1]</sup>

जन्म	15 नवंबर 1875 उलिहातू, रांची जिला, बंगाल प्रेसीडेंसी (अब खूंटी जिला, झारखंड)
मृत	9 जून 1900 (आयु 24 वर्ष) रांची, बंगाल प्रेसीडेंसी (अब झारखंड में) <sup>[2]</sup> <sup>[3]</sup>
राष्ट्रीयता	भारतीय

आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन  
अभिभावक सुगना मुंडा (पिता)  
कर्मी हतु (मां)

बिरसा मुंडा को ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों को चुनौती देने और मुंडा और ओरांव समुदायों के साथ धर्मांतरण गतिविधियों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए जाना जाता है।<sup>[8]</sup> उनका चित्र भारतीय संसद संग्रहालय में लटका हुआ है।

बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को, बंगाल प्रेसीडेंसी के रांची जिले के उलिहातु गांव में - अब झारखंड के खूंटी जिले में - गुरुवार को हुआ था (कुछ स्रोतों का दावा है कि उनका जन्म 18 जुलाई 1872 को हुआ था, न कि 1875 में) और इसलिए तत्कालीन प्रचलित मुंडा प्रथा के अनुसार, उस दिन के नाम पर इसका नाम रखा गया।<sup>[11][12][13]</sup> लोक गीत लोकप्रिय भ्रम को दर्शाते हैं और उलिहातु या चालकद को उनका जन्मस्थान बताते हैं। उलिहातु बिरसा के पिता सुगना मुंडा का जन्मस्थान था। उलिहातु का दावा बिरसा के गांव में रहने वाले उनके बड़े भाई कोमता मुंडा पर है, जहां उनका घर जर्जर हालत में ही सही, अब भी मौजूद है।

बिरसा के पिता, माता करमी हातु,<sup>[11]</sup> और छोटा भाई, पसना मुंडा, मजदूर ( साझेदारी ) या फसल-बटाईदार (रैयत) के रूप में रोजगार की तलाश में, उलिहातु छोड़ कर बीरबांकी के पास कुरुंबदा चले गए। कुरुंबदा में, बिरसा के बड़े भाई, कोमता और उनकी बहन, दस्किर का जन्म हुआ। वहां से परिवार बंबा चला गया जहां बिरसा की बड़ी बहन चंपा का जन्म हुआ।

बिरसा के प्रारंभिक वर्ष उनके माता-पिता के साथ चलकड में बीते। उनका प्रारंभिक जीवन एक औसत मुंडा बच्चे से बहुत अलग नहीं हो सकता था। लोककथाओं में उसके दोस्तों के साथ रेत और धूल में लोटने और खेलने और उसके मजबूत और सुंदर दिखने का उल्लेख है; वह बोहोंडा के जंगल में भेड़ें चराता था। जब वे बड़े हुए तो उन्हें बांसुरी बजाने में रुचि हो गई, जिसमें वे विशेषज्ञ बन गए। वह अपने हाथ में कदद्रू से बना एक तार वाला वाद्य तुइला और कमर में बांसुरी लटकाए घूमता था। उनके बचपन के रोमांचक पल अखाड़े (गाँव के कुश्ती मैदान) में बीते। हालाँकि, उनके आदर्श समकालीनों में से एक और जो उनके साथ बाहर गए थे, उन्होंने उन्हें अजीब बातें बोलते हुए सुना।<sup>[1,2,3]</sup>

गरीबी से प्रेरित होकर बिरसा को उसके मामा के गांव अयुभातु ले जाया गया।<sup>[13]</sup> कोमता मुंडा, उनका सबसे बड़ा भाई, जो दस साल का था, कुंडी बारटोली गया, एक मुंडा की सेवा में प्रवेश किया, शादी की और आठ साल तक वहीं रहा, और फिर चालकाड में अपने पिता और छोटे भाई के साथ शामिल हो गया। बिरसा दो साल तक अयुभातु में रहे। वह सालगा में जयपाल नाग द्वारा संचालित स्कूल में गया। वह अपनी मां की छोटी बहन, जोनी, जो उससे बहुत प्यार करती थी, के साथ उसके नए घर खटंगा में गया, जब उसकी शादी हुई थी। वह एक ईसाई मिशनरी के संपर्क में आए, जिन्होंने गांव के कुछ परिवारों से मुलाकात की, जिन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था। बिरसा मुंडा को बहुत जल्द ही समझ आ गया कि ईसाई मिशनरियां आदिवासियों को ईसाई बना रही हैं। बिरसा ने जल्द ही ईसाई मिशनरियों को चुनौती देना शुरू कर दिया और मुंडा और ओरांव समुदायों के साथ धर्मांतरण गतिविधियों के खिलाफ विद्रोह किया।

चूंकि बिरसा पढ़ाई में तेज थे, इसलिए जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में शामिल होने की सिफारिश की और बिरसा ने ईसाई धर्म अपना लिया और उनका नाम बदलकर बिरसा डेविड रख दिया गया, जो बाद में बिरसा दाउद बन गया।<sup>[13]</sup> कुछ वर्षों तक अध्ययन करने के बाद, उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल छोड़ दिया।

प्रारंभिक अवधि (1886-1894)

भारतीय इतिहास में कई महान नायकों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। उनमें से एक हैं बिरसा मुंडा, जिन्होंने अपने वीरतापूर्ण और साहसी कार्यों से देशभक्ति की मिसाल कायम की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के बिरसा गांव में हुआ था।<sup>[14]</sup>

1886 से 1890 तक चाईबासा में बिरसा का लंबा प्रवास उनके जीवन का एक प्रारंभिक काल था। यह अवधि जर्मन और रोमन कैथोलिक ईसाई आंदोलन द्वारा चिह्नित थी। स्वतंत्रता संग्राम के आलोक में सुगना मुंडा ने अपने बेटे को स्कूल से निकाल लिया। 1890 में चाईबासा छोड़ने के तुरंत बाद बिरसा और उनके परिवार ने जर्मन मिशन में अपनी सदस्यता छोड़ दी, ईसाई बनना बंद कर दिया और अपनी मूल पारंपरिक आदिवासी धार्मिक व्यवस्था में वापस लौट आये।



नया मोड़ , बोकारो स्टील सिटी , झारखंड में नभेंदु सेन द्वारा बिरसा मुंडा की मूर्ति

बढ़ते सरदार आंदोलन के मद्देनजर उन्होंने जरबेरा छोड़ दिया। उन्होंने पोरहाट क्षेत्र में पिरिंग के गिदोन के नेतृत्व में संरक्षित जंगल में मुंडाओं के पारंपरिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों पर लोकप्रिय असंतोष से उपजे आंदोलन में भाग लिया। 1893-94 के दौरान गांवों की सभी बंजर भूमि, जिसका स्वामित्व सरकार में निहित था, 1882 के भारतीय वन अधिनियम VII के तहत संरक्षित वनों में गठित की गई थी। लोहरदगा की तरह पश्चिमी सिंहभूम में भी वन बंदोबस्त अभियान शुरू किए गए और उपाय किए गए। वन-निवासी समुदायों के अधिकारों को निर्धारित करने के लिए लिया गया। जंगलों में गांवों को सुविधाजनक आकार के ब्लॉकों में चिह्नित किया गया था, जिसमें गांव के स्थल और गांवों की जरूरतों के लिए पर्याप्त खेती योग्य बंजर भूमि शामिल थी। 1894 में, बिरसा एक मजबूत युवा, चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति बन गया और उसने बारिश से क्षतिग्रस्त गेरबेरा में डोंबारी टैंक की मरम्मत का काम किया।

पश्चिमी सिंहभूम जिले के सांकरा गांव के पड़ोस में प्रवास के दौरान , उन्हें एक उपयुक्त साथी मिला, उन्होंने उसके माता-पिता को गहने भेंट किए और शादी के बारे में अपने विचार बताए। बाद में, जेल से लौटने पर, उसने उसे अपने प्रति वफादार नहीं पाया और उसे छोड़ दिया। चाल्कड में उनकी सेवा करने वाली एक अन्य महिला मथियास मुंडा की बहन थी। जेल से रिहा होने पर, कोएन्सर के मथुरा मुंडा की बेटी, जिसे काली मुंडा ने रखा था, और जिउरी के जग मुंडा की पत्नी ने बिरसा की पत्नी बनने पर जोर दिया। उन्होंने उन्हें डांटा और जग मुंडा की पत्नी को अपने पति के पास भेज दिया। एक और प्रसिद्ध महिला जो बिरसा के साथ रही वह बुरुंडी की साली थी।

बिरसा ने अपने जीवन के अंतिम चरण में एकपत्नीत्व पर जोर दिया। बिरसा किसानों, रैयतों की सबसे निचली श्रेणी से उठे, जिन्हें अन्यत्र अपने हमनामों के विपरीत मुंडारी खुंटकट्टी प्रणाली में बहुत कम अधिकार प्राप्त थे; जबकि सभी विशेषाधिकारों पर संस्थापक वंश के सदस्यों का एकाधिकार था, रैयत फसल-हिस्सेदारों से बेहतर नहीं थे। एक युवा लड़के के रूप में रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के दौरान बिरसा के अनुभव ने उन्हें कृषि प्रश्न और वन मामलों में अंतर्दृष्टि प्रदान की; वह कोई निष्क्रिय दर्शक नहीं था बल्कि पड़ोस में चल रहे आंदोलन में एक सक्रिय भागीदार था।

नवीन वैष्णव सम्प्रदाय

बिरसा को पारंपरिक आदिवासी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है, जो ज्यादातर ब्रिटिश ईसाई मिशनरी कार्यों से नकारात्मक रूप से प्रभावित थी। उनके संप्रदाय के तहत कई आदिवासी पहले ही ईसाई धर्म अपना चुके थे। उन्होंने चर्च और उसकी प्रथाओं जैसे कर लगाने और धार्मिक रूपांतरण का विरोध और आलोचना की। कहा जाता है कि 1895 में बिरसा को एक सर्वोच्च ईश्वर के दर्शन हुए थे। वह स्वयं एक उपदेशक और उनके पारंपरिक जनजातीय धर्म का प्रतिनिधि बन गया, और जल्द ही, उसने एक उपचारक, एक चमत्कार-कार्यकर्ता और एक उपदेशक के रूप में प्रतिष्ठा बना ली। मुंडा, ओरांव और खरिया लोग उन्हें देखने और अपनी बीमारियों से ठीक होने के लिए चल्कद के पास आते थे। बरवारी और चेचरी तक की उरांव और मुंडा दोनों आबादी आश्वस्त बिरसाइत बन गईं। समसामयिक और बाद के लोक गीत बिरसा के लोगों पर उनके आगमन पर उनके जबरदस्त प्रभाव, उनकी खुशी और उम्मीदों का स्मरण करते हैं। हर किसी की जुबान पर धरती आबा का नाम था।

बिरसा मुंडा ने आदिवासी लोगों को उनकी मूल पारंपरिक आदिवासी धार्मिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने की सलाह देना शुरू किया।<sup>[13]</sup> उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर, वह आदिवासी लोगों के लिए एक संत व्यक्ति बन गए और उन्होंने उनका आशीर्वाद मांगा।<sup>[13]</sup>

आदिवासी आंदोलन


ब्रिटिश राज को धमकी देने वाला बिरसा मुंडा का नारा - अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडु जाना ("रानी का राज्य समाप्त हो और हमारा राज्य स्थापित हो") - आज भी झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल और कई इलाकों में याद किया जाता है। मध्य प्रदेश।<sup>[15]</sup>

ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था ने जनजातीय कृषि व्यवस्था को एक सामंती राज्य में बदलने को तेज़ कर दिया। चूंकि आदिवासी अपनी आदिम तकनीक के साथ अधिशेष उत्पन्न नहीं कर सके, इसलिए छोटानागपुर में प्रमुखों द्वारा गैर-आदिवासी किसानों को भूमि पर बसने और खेती करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इससे आदिवासियों के पास मौजूद ज़मीनें छिन गईं। ठिकानेदारों का नया वर्ग अधिक लालची किस्म का था और अपनी संपत्ति का अधिकतम लाभ उठाने के लिए उत्सुक था।

1856 में जागीरें लगभग 600 थीं, और वे एक गाँव से 150 गाँवों तक फैली हुई थीं। लेकिन 1874 तक, जमींदारों द्वारा शुरू किए गए किसानों के अधिकार से पुराने मुंडा या ओरांव प्रमुखों का अधिकार लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया था। कुछ गाँवों में, वे अपने मालिकाना अधिकार पूरी तरह से खो चुके थे और खेत मजदूरों की स्थिति में आ गए थे। [4,5,6]

कृषि विघटन और संस्कृति परिवर्तन की दोहरी चुनौतियों का बिरसा ने मुंडा के साथ मिलकर अपने नेतृत्व में विद्रोहों और विद्रोहों की एक श्रृंखला के माध्यम से जवाब दिया। 1895 में, तमाड़ के चल्कद गाँव में, बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म त्याग दिया, अपने साथी आदिवासियों से केवल एक भगवान की पूजा करने और बोंगा की पूजा छोड़ने के लिए कहा।

उसने खुद को एक भविष्यवक्ता घोषित किया जो अपने लोगों का खोया हुआ राज्य वापस पाने के लिए आया था। उन्होंने कहा कि महारानी विक्टोरिया का शासनकाल खत्म हो गया है और मुंडा राज शुरू हो गया है। उन्होंने रैयतों (किरायेदार किसानों) को कोई लगान न देने का आदेश दिया। मुंडा उन्हें धरती के पिता धरती बाबा कहते थे।



BIRSA MUNDA CAPTURED AND CONDUCTED TO RANCHI

बिरसा मुंडा को पकड़कर रांची ले जाया गया (1890)।<sup>[16]</sup>

इस अफवाह के कारण कि बिरसा का अनुसरण नहीं करने वालों का नरसंहार किया जाएगा, बिरसा को 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार कर लिया गया और दो साल की कैद की सजा सुनाई गई। 28 जनवरी 1898 को, जेल से रिहा होने के बाद वह अपने अनुयायियों के साथ रिकॉर्ड इकट्ठा करने और मंदिर के साथ नस्लीय संबंध फिर से स्थापित करने के लिए चुटिया गए। उन्होंने कहा कि यह मंदिर कोल लोगों का है। ईसाई मिशनरियां बिरसा और उनके अनुयायियों को गिरफ्तार करना चाहती थीं, जो उन्हें धर्म परिवर्तन कराने की धमकी दे रहे थे। बिरसा दो साल के लिए भूमिगत हो गए लेकिन कई गुप्त बैठकों में भाग लेते रहे।

ऐसा कहा जाता है कि 1899 के क्रिसमस के आसपास लगभग 7000 पुरुष और महिलाएं उलगुलान (महान उपद्रव) की शुरुआत करने के लिए एकत्र हुए थे, जो जल्द ही खूंटी, तमाड़, बसिया और रांची तक फैल गया। मुरहू में एंग्लिकन मिशन और सरवाड़ा में रोमन कैथोलिक मिशन मुख्य लक्ष्य थे। बिरसाइतों ने खुले तौर पर घोषणा की कि असली दुश्मन अंग्रेज हैं, ईसाई मुंडा नहीं और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक युद्ध का आह्वान किया। उन्होंने कथित तौर पर ठिकानेदारों और जागीरदारों और राजाओं और हकीमों और ईसाइयों की हत्या का आग्रह किया और वादा किया कि बंदूकें और गोलियां पानी में बदल जाएंगी। दो वर्षों तक उन्होंने अंग्रेजों के वफ़ादार स्थानों पर हमले किये।

1899 की क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, बिरसा के अनुयायियों ने रांची और सिंहभूम में चर्चों को जलाने की कोशिश की। 5 जनवरी 1900 को बिरसा के अनुयायियों ने एटकेडीह में दो पुलिस कांस्टेबलों की हत्या कर दी। 7 जनवरी को, उन्होंने खूंटी पुलिस स्टेशन पर हमला किया, एक कांस्टेबल की हत्या कर दी और स्थानीय दुकानदारों के घरों को तोड़ दिया। बढ़ते विद्रोह को दबाने के लिए स्थानीय आयुक्त, ए. फोक्स और डिप्टी कमिश्नर, एचसी स्ट्रीटफील्ड, 150 लोगों की सेना के साथ खूंटी पहुंचे। औपनिवेशिक प्रशासन ने बिरसा के लिए 500 रुपये का इनाम भी निर्धारित किया। फोक्स और स्ट्रीटफील्ड की कमान के तहत सैनिकों ने डुम्बारी हिल पर मुंडा के गुरिल्लाओं पर हमला किया और उन्हें हरा दिया, हालांकि मुंडा खुद सिंहभूम पहाड़ियों में भाग गए।

उन्हें 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल में गिरफ्तार किया गया था।<sup>[17]</sup> रांची के उपायुक्त के अनुसार, पत्र के माध्यम से 15 विभिन्न आपराधिक मामलों में 460 आदिवासियों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 63 को दोषी ठहराया गया था। एक को मौत की सजा, 39 को आजीवन कारावास और 23 को चौदह साल तक की कैद की सजा सुनाई गई। मुकदमे के दौरान जेल में बिरसा मुंडा सहित छह मौतें हुईं। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की जेल में मृत्यु हो गई।<sup>[2]</sup> उनकी मृत्यु के बाद आंदोलन फीका पड़ गया।

1908 में, औपनिवेशिक सरकार ने छोटानागपुर किरायेदारी अधिनियम (सीएनटी) पेश किया, जो आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाता है।<sup>[18][19]</sup>

परंपरा



1988 में भारतीय डाक के डाक टिकट पर बिरसा मुंडा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर 2021 को हुई एक बैठक में आदिवासी स्वतंत्रता कार्यकर्ता के योगदान को याद करने के लिए 15 नवंबर, बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए मतदान किया। उनकी जयंती अभी भी कर्नाटक के मैसूर और कोडागु जिलों में आदिवासी लोगों द्वारा मनाई जाती है।<sup>[21]</sup> आधिकारिक उत्सव झारखंड की राजधानी रांची के कोकर इलाके में उनके समाधि स्थल पर होता है।<sup>[22]</sup>

आज, विशेष रूप से उनके नाम पर कई संगठन, निकाय और संरचनाएं हैं बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला, (विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम), बिरसा मुंडा वनवासी छत्रवास, कानपुर, सिद्धो कान्हो शामिल हैं। बिरसा विश्वविद्यालय, पुरुलिया, और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। बिहार रेजिमेंट का युद्धघोष बिरसा मुंडा की जय (बिरसा मुंडा की जय) है।<sup>[23]</sup>

उलगुलान की प्रतिमा झारखंड में बिरसा मुंडा की प्रस्तावित 150 फुट ऊंची प्रतिमा है, जिसे क्षेत्र के घरों से एकत्र किए गए पत्थरों से बनाया जाएगा।<sup>[24]</sup>

रांची में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ का वार्षिक कॉलेज उत्सव उलगुलान, बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित है।

अराम के निर्देशक गोपी नैनार, बिरसा मुंडा के जीवन पर तमिल में एक फिल्म का निर्देशन करने के लिए तैयार हैं।<sup>[25]</sup> जाने-माने तमिल निर्देशक और जाति-विरोधी कार्यकर्ता पा. रंजीत एक हिंदी फिल्म का निर्देशन करेंगे, जो बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। [7,8,9]

2004 में, अशोक सरन द्वारा एक हिंदी फिल्म, उलगुलान-एक क्रांति (द रिवोल्यूशन) बनाई गई थी। दीपराज राणा ने फिल्म में बिरसा मुंडा की भूमिका निभाई, और 500 बिरसाइत (बिरसा के अनुयायी) अतिरिक्त के रूप में दिखाई दिए।<sup>[27]</sup> राजेश मित्तल की एक और फिल्म, बिरसा मुंडा - द ब्लैक आयरन मैन, उसी वर्ष रिलीज़ हुई थी।<sup>[28]</sup>

2008 में, बिरसा के जीवन पर आधारित एक हिंदी फिल्म, गांधी से पहले गांधी (गांधी बिफोर गांधी) का निर्देशन इकबाल दुरान ने किया था, जो उनके इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।<sup>[29]</sup> भगवान बिरसा मुंडा, राजन खोसा की एक भारतीय जीवनी पर आधारित लघु फिल्म, 2020 में रिलीज़ हुई थी।<sup>[30]</sup>

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, लेखिका-कार्यकर्ता महाश्वेता देवी का ऐतिहासिक उपन्यास, अरण्येय अधिकार (राइट टू द फॉरेस्ट, 1977), एक उपन्यास जिसके लिए उन्होंने 1979 में बंगाली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता, उनके जीवन और मुंडा विद्रोह पर आधारित है। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश राज के खिलाफ; बाद में उन्होंने विशेष रूप से युवा पाठकों के लिए एक संक्षिप्त संस्करण बिरसा मुंडा लिखा।

विचार-विमर्श

जब रोमन कैथोलिक धर्म स्वीकार किया...

जर्मन मिशन त्यागकर रोमन कैथोलिक धर्म स्वीकार किया। बाद में इस धर्म से भी अरुचि हो गई। 1891 में बंदगांव के आनंद पांडे के संपर्क में आए। आनंद स्वांसी जाति के थे और गैरमुंडा जमींदार जगमोहन सिंह के यहां मुंशी का काम करते थे। आनंद रामायण-महाभारत के अच्छे ज्ञाता थे। इससे उनका प्रभाव भी था।

बिरसा का अधिकतर समय आनंद पांडु या उनके भाई सुखनाथ पांडु के साथ व्यतीत होता था। इधर, पोड़ाहाट में सरकार ने सुरक्षित वन घोषित कर दिया था, जिसको लेकर आदिवासियों में काफी आक्रोश था और लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे।

जब खुद को बताया 'धरती आबा'

आंदोलन की गति धीमी थी और बिरसा भी इस आंदोलन में भाग लेने लगे थे। सरदार आंदोलन में भाग लेने को ले आनंद पांडु ने समझाया लेकिन बिरसा ने आनंद की बात नहीं सुनी। आगे चलकर, बिरसा भी इस आंदोलन में कूद गए। बिरसा ने एक दिन घोषणा की कि वह पृथ्वी पिता यानी 'धरती आबा' है। उनके अनुयायियों ने भी इसी रूप को माना।


एक दिन उनकी मां प्रवचन सुन रही थी। मां ने उसे बिरसा बेटा कहकर पुकारा। बिरसा ने कहा, वह 'धरती आबा' है और अब उसे इसी रूप में संबोधित किया जाना चाहिए। जब ब्रिटिश सत्ता ने 1895 में पहली बार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया तो धार्मिक गुरु के रूप में मुंडा समाज में स्थापित हो चुके थे। दो साल बाद जब रिहा हुए तो अपने धर्म को मुंडाओं के समक्ष रखना शुरू।

आगे चलकर धार्मिक सुधार का यह आंदोलन भूमि संबंधी राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। छह अगस्त 1895 को चैकीदारों ने तमाड़ थाने में यह सूचना दी कि 'बिरसा नामक मुंडा ने इस बात की घोषणा की है कि सरकार के राज्य का अंत हो गया है।' इस घोषणा को अंग्रेज सरकार ने हल्के में नहीं लिया। वह बिरसा को लेकर गंभीर हो गई।<sup>[10]</sup>

जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए बलिदान

बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। बिरसा मुंडा का पूरा आंदोलन 1895 से लेकर 1900 तक चला। इसमें भी 1899 दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के अंत तक काफी तीव्र रहा। पहली गिरफ्तारी अगस्त 1895 में बंदगांव से हुई।

इस गिरफ्तारी के पीछे कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि प्रवचन के दौरान उमड़ने वाली भीड़ थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इलाके में किसी प्रकार की भीड़ एकत्रित हो, चाहे वह प्रवचन के नाम पर ही क्यों न हो। अंग्रेजी सरकार ने बहुत चालाकी से बिरसा को रात में पकड़ लिया, जब वह सोए थे। बिरसा जेल भेज दिए गए। बिरसा और उनके साथियों को दो साल की सजा हुई।



“भाइयों, ये जो लोग आपके बीच घूमते चलते हैं, उनसे आप लोगों की सेवा ठीक से कभी नहीं हो सकती। जो लोग कहते हैं कि पांच या उससे कम दिन पहले मरे लोगों को फिर से जिंदा किया जा सकता है, याद रखो कि वे तुम लोगों को बुद्ध बना रहे हैं। ये देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे।”

**- बिरसा मुंडा**

जब जेल से किया गया रिहा...

बिरसा को रांची जेल से हजारीबाग जेल भेज दिया गया। 30 नवंबर 1897 को उसे जेल से रिहा कर दिया गया। उसे पुलिस चलकद लेकर आई और चेतावनी दी कि वह पुरानी हरकत नहीं करेगा। बिरसा ने भी वादा किया कि वह किसी तरह का आंदोलन नहीं करेगा, लेकिन अनुयायियों और मुंडाओं की स्थिति देखकर बिरसा अपने वचन पर कायम नहीं रह सके।

एक नए आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई। सरदार आंदोलन भी जो अब सुस्त हो गया था, उसके आंदोलनकारी भी बिरसा के साथ हो लिए। बिरसा ने पैतृक स्थानों की यात्राएं कीं, जिसमें चुटिया मंदिर और जगन्नाथ मंदिर भी शामिल था। गुप्त बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। रणनीतियां बनने लगीं। बसिया, कोलेबिरा, लोहरदगा, बानो, कर्रा, खूंटी, तमाड़, बुंडू, सोनाहातू और सिंहभूम का पोड़ाहाट का इलाका अंगड़ाई लेने लगा।

ईसाई पादरियों पर जमकर प्रहार

बिरसा ईसाई पादरियों पर जमकर प्रहार करते। इस भाषण से यह बात जाहिर होती है कि पादरी आदिवासियों के बीच किस तरह का अंधविश्वास फैला रहे थे। बिरसा का प्रभाव उसके समुदाय पर पड़ रहा था और यह परिवर्तन उन्हें एकजुट कर रहा था। यह सब करते हुए 1898 बीत गया। भीतर-भीतर जंगल सुलग रहे थे।

पुलिस भी बिरसा और उनके अनुयायियों पर नजर रखे हुए थी। पल-पल की खबर के लिए उसने कई गुप्तचर छोड़ रखे थे। चौकीदारों का काम भी यही था। फिर भी बिरसा चकमा दे जाते। कब कहां किस पहाड़ी पर बैठक होनी है, यह बहुत गुप्त रखा जाता।

अबुआ दिशुम, अबुआ राज

जमींदारों और पुलिस का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। मुंडाओं का विचार था कि आदर्श भूमि व्यवस्था तभी संभव है, जब यूरोपियन अफसर और मिशनरी के लोग पूरी तरह से हट जाएं। इसलिए, एक नया नारा गढ़ा गया- 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज' जिसका मतलब है कि अपना देश-अपना राज।

बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों के लिए सबसे बड़े दुश्मन चर्च, मिशनरी और जमींदार थे। जमींदारों को भी कंपनी ने ही खड़ा किया था। इसलिए, जब अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू हुई तो सबसे पहले निशाना चर्च को ही बनाया गया। इसके लिए क्रिसमस की पूर्व संध्या को हमले के लिए चुना गया।

24 दिसंबर 1899 से लेकर बिरसा की गिरफ्तारी तक रांची, खूंटी, सिंहभूम का पूरा इलाका ही विद्रोह से दहक उठा था। इसका केंद्र खूंटी था। इस विद्रोह का उद्देश्य भी चर्च को धमकाना था कि वह लोगों को बरगलाना छोड़ दे, लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। इसलिए पहले पहल 24 दिसंबर 1899 की संध्या चक्रधरपुर, खूंटी, कर्रा, तोरपा, तमाड़ और गुमला का बसिया थाना क्षेत्रों में चर्च पर हमले किए गए।

तीर बरसाए गए। बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में वहां के गिरजाघर पर भी तीर चलाए गए। सरवदा चर्च के गोदाम में आग लगा दी गई। इसके बाद चर्च से बाहर निकले फादर हाफमैन व उनके एक साथी पर तीरों से बारिश की गई। हाफमैन तो बच गए, लेकिन उनका साथी तीर से घायल हो गया। 24 दिसंबर की इस घटना से ब्रिटिश सरकार सकंटे में आ गई। इसके लिए धर-पकड़ शुरू हुआ।

पुलिस और विद्रोहियों के बीच युद्ध

पुलिस को खबर मिली की नौ जनवरी को सइल रकब पर मुंडाओं की एक बड़ी बैठक होने वाली है। पुलिस दल-बल के साथ यहां पहुंची। पहाड़ी करीब तीन सौ फीट ऊंची थी। उसके ऊपर बैठक हो रही थी। यहां पुलिस और विद्रोहियों के बीच जमकर युद्ध हुआ, लेकिन बिरसा मुंडा यहां नहीं मिले। वे पहले ही यहां से निकल गए थे और अयूबहातू पहुंच गए थे।

यहां भी जब पुलिस पहुंची तो वे यहां भी अपना हुलिया बदलकर निकल गए थे। बिरसा के हाथ न आने से पुलिस बौखलाई हुई थी। अब पुलिस ने लालच की तरकीब निकाली और बिरसा का पता देने वालों को इनाम की घोषणा की। यह उक्ति काम कर गई। वे पोड़ाहाट के जंगलों में अपना स्थान बदलते रहते।

मानमारू और जरीकेल के सात आदमी इनाम के लोभवश बिरसा को खोज रहे थे। 3 फरवरी को उन्होंने देखा कि कुछ दूर पर सेंतरा के पश्चिमी जंगल के काफी अंदर धुआं उठ रहा है। वे यहां चुपके से रेंगते हुए पहुंचे और बिरसा को यहां देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब सभी खा-पीकर सो गए तो इन लोगों ने मौका देखकर सभी को दबोच लिया और बंदगांव में डिष्टी कमिश्नर को सुपुर्द कर दिया।

आदिवासियों ने दिया भगवान का दर्जा

इन लोगों को पांच सौ रुपये का नकद इनाम मिला। बिरसा को वहां से रांची जेल भेजा गया। यहीं रांची जेल में नौ जून 1900 को हैजा के कारण बिरसा ने अंतिम सांस ली और आनन-फानन में कोकर पास डिस्टिलरी पुल के निकट उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस तरह एक युग का अंत हुआ। जाते-जाते बिरसा मुंडा ने लोगों के जीवन पर ऐसी छाप छोड़ी कि आदिवासियों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया।

परिणाम

बात नवंबर, 1897 की है। बिरसा मुंडा को पूरे 2 साल 12 दिन जेल में बिताने के बाद रिहा किया जा रहा था। उनके दो और साथियों-- डोंका मुंडा और मझिया मुंडा-को भी छोड़ा जा रहा था।

ये तीनों साथ-साथ जेल के मुख्य गेट की तरफ बढ़ रहे थे. जेल के क्लर्क ने रिहाई के कागजात के साथ कपड़ों का एक छोटा-सा बंडल भी दिया.

बिरसा ने अपने पुराने सामान पर एक नज़र डाली और वो ये देख कर थोड़े परेशान हुए कि उसमें उनकी चप्पल और पगड़ी नहीं थी. जब बिरसा के साथ डोंका ने पूछा कि बिरसा की चप्पल और पगड़ी कहाँ है, तो जेलर ने जवाब दिया कि कमिश्नर फ़ोर्ब्स के आदेश हैं कि हम आपकी चप्पल और पगड़ी आपको न दें क्योंकि सिर्फ़ ब्राह्मण, ज़मींदारों और साहूकारों को ही चप्पल और पगड़ी पहनने की इजाज़त है. इससे पहले कि बिरसा के साथी कुछ कहते बिरसा ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें चुप रहने को कहा. जब बिरसा और उनके साथी जेल के गेट से बाहर निकले तो करीब 25 लोग उनके स्वागत में खड़े थे.

उन्होंने बिरसा को देखते ही नारा लगाया, 'बिरसा भगवान की जय!'

बिरसा ने कहा आप सबको मुझे भगवान नहीं कहना चाहिए. इस लड़ाई में हम सब बराबर हैं.

तब बिरसा के साथी भरमी ने कहा हमने आपको एक दूसरा नाम भी दिया था 'धरती आबा.' अब हम आपको इसी नाम से पुकारेंगे.

बिरसा मुंडा ने बहुत कम उम्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ़ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था. उन्होंने ये लड़ाई तब शुरू की थी जब वो 25 साल के भी नहीं हुए थे. उनका जन्म 15 नवंबर, 1875 को मुंडा जनजाति में हुआ था.

उन्हें बाँसुरी बजाने का शौक था. अंग्रेज़ों को कड़ी चुनौती देने वाले बिरसा सामान्य कद-काठी के व्यक्ति थे, उनका कद था केवल 5 फ़ीट 4 इंच.

जॉन हॉफ़मैन ने अपनी किताब 'इनसाइक्लोपीडिया मंडारिका' में लिखा था, "उनकी आँखों में बुद्धिमता की चमक थी और उनका रंग आम आदिवासियों की तुलना में कम काला था. बिरसा एक महिला से शादी करना चाहते थे, लेकिन जब वो जेल चले गए तो वो महिला उनके प्रति ईमानदार नहीं रही, इसलिए बिरसा ने उसे छोड़ दिया."

शुरू में वो बोहोंडा के जंगलों में भेड़ें चराया करते थे. सन् 1940 में झारखंड की राजधानी राँची के नज़दीक रामगढ़ में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा गेट रखा गया था.

सन् 2000 में उनके जन्मदिन की तारीख़ पर ही झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी.

बिरसा मुंडा की आरंभिक पढ़ाई सालगा में जयपाल नाग की देखरेख में हुई थी. उन्होंने एक जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने के लिए ईसाई धर्म अपना लिया था. लेकिन जब उन्हें लगा कि अंग्रेज़ लोग आदिवासियों का धर्म बदलवाने की मुहिम में लगे हुए हैं तो उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ दिया था.

कहानी मशहूर है कि उनके एक ईसाई अध्यापक ने एक बार कक्षा में मुंडा लोगों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया. बिरसा ने विरोध में अपनी कक्षा का बहिष्कार कर दिया. उसके बाद उन्हें कक्षा में वापस नहीं लिया गया और स्कूल से भी निकाल दिया गया.

बाद में उन्होंने ईसाई धर्म का परित्याग कर दिया और अपना नया धर्म 'बिरसैत' शुरू किया. जल्दी ही मुंडा और उराँव जनजाति के लोग उनके धर्म को मानने लगे. जल्दी ही, उन्होंने अंग्रेज़ों की धर्म बदलवाने की नीति को एक तरह की चुनौती के तौर पर लिया. बिरसा के संघर्ष की शुरुआत चाईबासा में हुई थी जहाँ उन्होंने 1886 से 1890 तक चार वर्ष बिताए. वहीं से अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एक आदिवासी आंदोलन की शुरुआत हुई. इस दौरान उन्होंने एक नारा दिया -

"अबूया राज एते जाना/ महारानी राज दुड़ जाना" (यानी अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी का राज ख़त्म हो गया है).

बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को आदेश दिया कि वो सरकार को कोई टैक्स न दें. 19वीं सदी के अंत में अंग्रेज़ों की भूमि नीति ने परंपरागत आदिवासी भूमि व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया था.

साहूकारों ने उनकी ज़मीन पर क़ब्ज़ा करना शुरू कर दिया था और आदिवासियों को जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था. मुंडा लोगों ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी जिसे उन्होंने 'उलगुलान' का नाम दिया था.[11,12,13]

उस समय बिरसा मुंडा राज्य की स्थापना के लिए जोशीले भाषण दिया करते थे. केएस सिंह अपनी किताब 'बिरसा मुंडा एंड हिज़ मूवमेंट' में लिखते हैं, "बिरसा अपने में भाषण में कहते थे, डरो मत. मेरा साम्राज्य शुरू हो चुका है. सरकार का राज समाप्त हो चुका है. उनकी बंदूकें लकड़ी में बदल जाएंगी. जो लोग मेरे राज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें रास्ते से हटा दो."

उन्होंने पुलिस स्टेशनों और ज़मींदारों की संपत्ति पर हमला करना शुरू कर दिया था. कई जगहों पर ब्रिटिश झंडे यूनिफ़ॉर्म जैक को उतारकर उसकी जगह सफ़ेद झंडा लगाया जाने लगा जो मुंडा राज का प्रतीक था. अंग्रेज़ सरकार ने उस समय बिरसा पर 500 रुपए का इनाम रखा था जो उस ज़माने में बड़ी रक़म हुआ करती थी.

बिरसा को पहली बार 24 अगस्त 1895 को गिरफ़्तार किया गया था. उनको दो साल की सज़ा हुई थी. जब दो साल बाद उन्हें छोड़ा गया था तो वो भूमिगत हो गए थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ आंदोलन करने के लिए उन्होंने अपने लोगों के साथ गुप्त बैठकें शुरू कर दी थीं.

बिरसा मुंडा से कहीं पहले सन् 1858 से अंग्रेज़ों के खिलाफ़ सरदार आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी. उसका उद्देश्य था ज़मींदारों और बाँधुआ मज़दूरी को समाप्त करना. उसी दौरान राँची के पास सिलागेन गाँव में बुद्धू भगत ने आदिवासियों को अंग्रेज़ों के खिलाफ़ संगठित किया था.

उन्होंने करीब 50 आदिवासियों को जमा किया था जिनके हाथ में हमेशा तीर कमान हुआ करते थे. उनका नारा था 'अबुआ दिसोम रे, अबुआ राज' यानी ये हमारा देश है और हम इस पर राज करेंगे. जब भी कोई ज़मींदार या पुलिस अफ़सर लोगों पर ज़्यादाती करता पाया जाता था, बुद्धू अपने दल के साथ पहुँच कर उसके घर पर हमला बोल देते थे.

तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा अपनी किताब 'द लीजेंड ऑफ़ बिरसा मुंडा' में लिखते हैं, "एक बार एक मुहिम पर जाने से पहले बुद्धू और उनके साथियों ने तय किया कि वो शिव मंदिर में पूजा करेंगे। जब वो मंदिर के पास पहुंचे तो वो अंदर से बंद था। वो अभी सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए अचानक 20 पुलिसवाले मंदिर के अंदर से निकले, इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई जिसमें बुद्धू समेत 12 आदिवासी मारे गए और बाकी लोगों को बंदी बना लिया गया।"

बताया जाता है कि दस गोलियाँ लगने के बावजूद बुद्धू ने मरते-मरते कहा, "आज तुम्हारी जीत हुई है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। एक दिन हमारा 'उलगुलान' तुम्हें हमारी ज़मीन से बाहर फेंक देगा।" सन् 1900 आते-आते बिरसा का संघर्ष छोटानागपुर के 550 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैल चुका था। सन 1899 में उन्हें अपने संघर्ष को और विस्तार दे दिया था। उसी साल 89 ज़मींदारों के घरों में आग लगाई गई थी। आदिवासी विद्रोह इतना बढ़ गया था कि राँची के ज़िला कलेक्टर को सेना की मदद माँगने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

डोम्बारी पहाड़ी पर सेना और आदिवासियों की भिड़ंत हुई थी। केएस सिंह अपनी किताब में लिखते हैं, "जैसे ही आदिवासियों ने सैनिकों को देखा उन्होंने अपने तीर-कमान और तलवारें लहराना शुरू कर दीं। अंग्रेज़ों ने दुभाषिए के ज़रिए मुंडारी में उनसे हथियार डालने के लिए कहा। पहले तीन राउंड गोली चलाई गईं। लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। आदिवासियों को लगा कि बिरसा की भविष्यवाणी सच साबित हुई है कि अंग्रेज़ों की बंदूकें लकड़ी में और उनकी गोलियाँ पानी में बदल गई हैं।"

उन्होंने चिल्ला कर इस गोलीबारी का जवाब दिया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने दो राउंड गोली चलाई। इस बार दो 'बिरसैत' मारे गए। तीसरा राउंड चलने पर तीन आदिवासी धराशायी हो गए। उनके गिरते ही अंग्रेज़ सैनिकों ने पहाड़ पर हमला बोल दिया। इससे पहले उन्होंने पहाड़ के दक्षिण में कुछ सैनिक भेज दिए ताकि वहाँ से आदिवासियों को बच निकलने से रोका जाए।

केएस सिंह ने लिखा है, "इस मुठभेड़ में सैकड़ों आदिवासियों की मौत हुई थी और पहाड़ी पर शवों का ढेर लग गया था। गोलीबारी के बाद सुरक्षाबलों ने आदिवासियों के शव खाइयों में फेंक दिए थे और कई घायलों को ज़िंदा गाड़ दिया गया था।

इस गोलीबारी के दौरान बिरसा भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गए। कहा जाता है कि इस गोलीबारी में करीब 400 आदिवासी मारे गए थे, लेकिन अंग्रेज़ पुलिस ने सिर्फ़ 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। तीन मार्च को अंग्रेज़ पुलिस ने चक्रधरपुर के पास एक गाँव को घेर लिया था। बिरसा के नज़दीकी साथियों कोमटा, भरमी और मौएना को गिरफ़्तार कर लिया गया था। लेकिन बिरसा का कहीं अता-पता नहीं था।

तभी एसपी रोश को एक झोंपड़ी दिखाई दी थी। तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा लिखते हैं, "जब रोश ने अपनी संगीन से उस झोंपड़ी के दरवाज़े को धक्का देकर खोला था तो अंदर का दृश्य देख कर उनके होश उड़ गए थे। बिरसा मुंडा झोंपड़ी के बीचोंबीच पालथी मार कर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने तुरंत खड़े होकर बिना कोई शब्द बोले इशारा किया था कि वो हथकड़ी पहनने के लिए तैयार हैं।"

रोश ने अपने सिपाही को बिरसा को हथकड़ी पहनाने का आदेश दिया। ये वो शख्स था जिसने इस इलाके में अंग्रेज़ सरकार की नींव हिला कर रख दी थी।

बिरसा को दूसरे रास्ते से राँची ले जाया गया ताकि लोगों को पता न चल सके कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन जब बिरसा राँची जेल पहुंचे तो हज़ारों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए वहाँ पहले से ही मौजूद थे।

बिरसा के पकड़े जाने का विवरण सिंहभूम के कमिश्नर ने बंगाल के मुख्य सचिव को भेजा था।

500 रुपए का इनाम घोषित होने के बाद पास के गाँव मानमारू और जरीकल के सात लोग बिरसा मुंडा की तलाश में जुट गए।

कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, "तीन फ़रवरी को इन लोगों ने सेंतरा के पश्चिम के जंगलों में दूर से धुआँ उठते हुए देखा। जब वो पास गए तो उन्होंने देखा कि बिरसा वहाँ अपनी दो तलवारों और पत्नियों के साथ बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद जब बिरसा सो गए तो इन लोगों ने उसी हालत में बिरसा को पकड़ लिया। उन्हें बंदगाँव में कैद कर रहे डिप्टी कमिश्नर के पास लाया गया।"

बिरसा को पकड़ने वाले लोगों को 500 रुपए नक़द इनाम के तौर पर दिए गए। कमिश्नर ने आदेश दिया कि बिरसा को चाईबासा न ले जाकर राँची ले जाया जाए।

मुकदमे वाले दिन कमिश्नर फ़ोर्ब्स ने तय किया कि बिरसा को बेड़ियों में बाँध कर जेल से अदालत लाया जाएगा ताकि लोग अपनी आंखों से देख सकें कि अंग्रेज़ सरकार से टक्कर लेने का परिणाम क्या होता है।

अदालत के कमरे में कमिश्नर फ़ोर्ब्स डीसीपी ब्राउन के साथ आगे की बेंच पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। वहाँ फ़ादर हॉफ़मैन भी अपने एक दर्जन साथियों के साथ मौजूद थे।

तभी बाहर से एक शोर सुनाई दिया। ब्राउन दौड़कर बाहर की तरफ़ भागे। वहाँ भारी भीड़ बिरसा की रिहाई की माँग कर रही थी। उसके साथ करीब 40 सशस्त्र पुलिसकर्मी चल रहे थे।

साफ़ दिखाई दे रहा था कि जेल में बिरसा की कोड़ों से काफ़ी पिटाई की गई थी लेकिन ये लग नहीं रहा था कि बिरसा को किसी तरह का कोई दर्द है। ये दृश्य देखते ही ब्राउन को अपनी गलती का एहसास हो गया था।

उन्होंने सोचा था कि बिरसा को बेड़ियों में बाँध कर अदालत लाने से संदेश जाएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ़ बगावत का परिणाम कितना बुरा हो सकता है, लेकिन इसका उलटा असर हुआ था. लोग डरने के बजाए बिरसा के समर्थन में उतर आए थे. बिरसा पर लूट, दंगा करने और हत्या के 15 मामलों में आरोप तय किए गए थे.

जेल में बिरसा को एकांत में रखा गया. तीन महीने तक उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया गया. सिर्फ़ एक घंटे के लिए रोज़ उन्हें सूरज की रोशनी पाने के लिए अपनी कोठरी से बाहर निकाला जाता था.

एक दिन बिरसा जब सोकर उठे तो उन्हें तेज़ बुखार और पूरे शरीर में भयानक दर्द था. उनका गला भी इतना ख़राब हो चुका था कि उनके लिए एक घूंट पानी पीना भी असंभव हो गया था. कुछ दिनों में उन्हें ख़ून की उल्टियां शुरू हो गई थीं. 9 जून, 1900 को बिरसा ने सुबह 9 बजे दम तोड़ दिया.

बाद में रांची जेल के अधीक्षक कैप्टन एंडरसन ने जांच समिति के सामने दिए बयान में कहा, "जब बिरसा के पार्थिव शरीर को कोठरी के बाहर लाया गया तो जेल में कोहराम मच गया. सभी बिरसैतों को बुलाकर बिरसा के शव को पहचानने के लिए कहा गया. लेकिन उन्होंने डर की वजह से ऐसा करने से इनकार कर दिया.

नौ जून की शाम साढ़े पाँच बजे शरीर का पोस्टमॉर्टम किया गया. उनके शरीर में बड़ी मात्रा में पानी पाया गया. उनकी छोटी आँत पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण हैजा बताया गया.[14,15,16]

### निष्कर्ष

बिरसा के साथियों का मानना था कि उन्हें ज़हर दिया गया था, आखिरी समय में जेल प्रशासन ने उन्हें मेडिकल सहायता नहीं दी, इससे इस आशंका को और बल मिला.[17,18,19]

अपने अंतिम क्षणों में बिरसा कुछ पलों के लिए होश में आए. उनके मुँह से शब्द निकले, 'मैं सिर्फ़ एक शरीर नहीं हूँ. मैं मर नहीं सकता. उलगुलान (आंदोलन) जारी रहेगा.'


बिरसा की मृत्यु के साथ ही मुंडा आंदोलन शिथिल पड़ गया था, लेकिन उनकी मौत के आठ साल बाद अंग्रेज़ सरकार ने 'छोटानागपुर टेनेसी एक्ट' पारित किया जिसमें प्रावधान था कि आदिवासियों की भूमि को ग़ैर-आदिवासी नहीं ख़रीद नहीं सकते.[20]

### संदर्भ

1. रायक्रॉफ़्ट, डेनियल जे. (4 जनवरी 2002)। "कैचरिंग बिरसा मुंडा: द वर्चुअलिटी ऑफ़ ए कोलोनिअल-एरा फोटोग्राफ"। ससेक्स विश्वविद्यालय . 27 अगस्त 2005 को मूल से संग्रहीत । 18 अगस्त 2015 को लिया गया ।
2. ^ "धरती आबा" का "उलगुलान" [बिरसा मुंडा का विद्रोह]। cipra.in । 2009। 21 अप्रैल 2014 को मूल से संग्रहीत। 10 जून 2015 को लिया गया । उन्हें अपने 482 अनुयायियों के साथ मुकदमे के लिए रांची जेल में बंद कर दिया गया था, जहां 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई ।
3. ^ "बिरसामुंडा" । टाइममैगज़ीन.नेट । 1999–2015। 10 जून 2015 को मूल से संग्रहीत । 10 जून 2015 को लिया गया ।
4. ^ इंडिया टुडे वेब डेस्क (15 नवंबर 2021)। "बिरसा मुंडा जयंती: भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में सब कुछ" । इंडिया टुडे । 11 मार्च 2022 को लिया गया ।
5. ^ आवाज़, आपकी (9 जून 2015)। "बिरसा मुंडा: शक्ति और साहस के परिचायक" [बिरसा मुंडा: शक्ति और साहस का प्रतिनिधित्व करता है] (हिंदी में)। 11 जून 2021 को मूल से संग्रहीत । 5 फरवरी 2015 को पुनःप्राप्त ।
6. ^ सिंह, केएस (1983)। बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन, 1874-1901: छोटानागपुर में सहस्राब्दी आंदोलन का एक अध्ययन । ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। आईएसबीएन 978-0-19-561424-4. 9 जून 2023 को मूल से संग्रहीत । 27 मई 2023 को पुनःप्राप्त ।
7. ^ बिरसा मुंडा जयंती: भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में सब कुछ: भारत में आज दिनांक 15-11-2021 को प्रकाशित लेख |url=|
8. ^ "जनजातीय गौरव दिवस' पर बिरसा मुंडा को याद करते हुए" । . प्रगतिवादी । 15 नवंबर 2021। 15 नवंबर 2021 को मूल से संग्रहीत । 3 फरवरी 2022 को लिया गया ।
9. ^ "बिरसा मुंडा" । भारत की संसद: राज्य सभा - राज्यों की परिषद । 9 जून 2021 को मूल से संग्रहीत । 16 नवंबर 2018 को लिया गया ।
10. ^ सिंह, कुमार सुरेश (2002) [1983]। बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन (1872-1901): छोटानागपुर में सहस्राब्दी आंदोलन का एक अध्ययन । सीगल पुस्तकें। आईएसबीएन 978-817046205-7.
11. ^ बिरसा मुन्दा स्मारक डाक टिकट और जीवनी संग्रहीत6 जून 2014 कोवेबैक मशीन इंडिया पोस्ट, 15 नवंबर 1988।
12. ^ "एरकी (तामर द्वितीय) तहसील, रांची, झारखंड में गांव" । MapsofIndia.com । 4 अगस्त 2016 को मूल से संग्रहीत । 26 मई 2016 को लिया गया ।



13. ^ नीरज (2009)। बिरसा मुंडा . नई दिल्ली: ओशन बुक्स प्राइवेट लिमिटेड पीपी 3-10।आईएसबीएन 978-8188322930. 17 फरवरी 2022 को लिया गया ।
14. ^ टीयू प्रीति। "बिरसा मुंडा: भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का जन्म" । सिंहभूम टाइम्स । सिंहभूम टाइम्स । 10 जुलाई 2023 को लिया गया ।
15. ^ सुरेश, सुषमा (1999)। भारतीय टिकटों पर कौन क्या है ? मोहन बी दरयानानी. आईएसबीएन 978-84-931101-0-9.
16. ^ "मुंडा कट्टरपंथी का जिज्ञासु इतिहास" । आधुनिक समीक्षा । वॉल्यूम. 9, नहीं. 6. जून 1911. पृ. 546 . 17 फरवरी 2022 को लिया गया ।
17. ^ एकेधन (2017)। बिरसा मुंडा . प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। आईएसबीएन 978-81-230-2544-5.
18. ^ "झारखंड: बिरसा मुंडा की भूमि में, आदिवासी 6 मई को मतदान का बहिष्कार करेंगे" । Indianexpress.com । 5 मई 2019 को मूल से संग्रहीत । 5 मई 2019 को लिया गया ।
19. ^ "छोटानागपुर किरायेदारी अधिनियम: आगे क्या" । टेलीग्राफइंडिया । 6 अगस्त 2021 को मूल से संग्रहीत । 31 अगस्त 2019 को लिया गया ।
20. ^ पंडित, अंबिका (11 नवंबर 2021)। "केंद्र 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाएगी" । द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया । 11 नवंबर 2021 को मूल से संग्रहीत । 12 नवंबर 2021 को लिया गया ।



**INTERNATIONAL JOURNAL  
OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH**  
IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT



+91 99405 72462



+91 63819 07438



ijmrsetm@gmail.com

[www.ijmrsetm.com](http://www.ijmrsetm.com)